II—156
C.J.

(3)

Order Sheet [Contd]

Case No. ..अप/01/23.....of 20 ....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.05.2023	**लोक अदालत की खंडपीठ कमांक 04 में प्रस्तुत।** राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0। अभियुक्त अनुपस्थित। प्रकरण शमन आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। आवेदक/आहत अभय व्दारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (1) एवं 320 (2) द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पर आवेदक को सुना गया है। उसने अभियुक्त से स्वेच्छया बिना किसी डर, दवाब या भय के राजीनामा करना स्वीकार किया है। उनकी पहचान श्री जितेन्द्र तायड़े अधिवक्ता द्वारा की गई है। आवेदक का कहना है कि अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख से कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। आवेदक/आहत द्वारा अभियुक्त के साथ स्वेच्छया राजीनामा स्वीकार किया गया है। ऐसी दशा में शमन की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदन को स्वीकार किया जाता है और अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294, 323 के आरोप से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है। प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त नहीं है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा हैं। इस संबंध में प्रमाण पत्र निर्मित किया जावे। प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए। ए.बी. खान सदस्य **(अजय कुमार यदु)** पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत खंडपीठ क. 4 बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)	